



# ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया

## पहल : शासन सुधार की ओर

### गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए मार्गदर्शिका



## ग्रामीणों के लिये चलाई जा रही केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनायें

**महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (MGNREGA)** – न्यूनतम मज़दूरी के आधार पर बेरोजगार ग्रामीण परिवारों का प्रत्येक वर्ष में 100 दिनों तक के रोजगार का प्रावधान है। ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में कार्य के आवेदन के 15 दिनों के अंदर इस रोजगार को दिलाने का प्रावधान है।

**इंदिरा आवास योजना** – ग्राम पंचायतों द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे के उन परिवारों की, जिनको घरों की जरूरत है, उनके गरीबी स्तर के अनुसार एक प्रतीक्षा सूची बनायी गयी है। इसके अन्तर्गत नये गृह निर्माण के लिये रु0 35,000/- व कच्चे मकानों की मरम्मत के लिये रु0 15,000/- का प्रावधान है।

**आम आदमी बीमा योजना**—18 से 59 वर्ष की आयु में परिवार के मुखिया अथवा परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की असमायिक मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता होने पर प्रत्येक भूमिहीन ग्रामीण परिवार इस योजना का अधिकारी है। इस योजना के अंतर्गत,  
– रु. 30,000/- स्वाभाविक मृत्यु होने पर,  
– रु. 75,000/- दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्णरूप से स्थायी अपंगता, एवं  
– रु. 37,500/- आंशिक स्थाई अपंगता होने पर।  
उपरोक्त के अतिरिक्त, नवें से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे दो बच्चों को रु. 300/- प्रति बच्चा प्रति तिमाही मिलेगा।

**प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना** – ग्रामीण गरीबों को आश्रय दिलाने का उत्तरदायित्व केन्द्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। जिला परिषदें पंचायत क्षेत्रों के अनुसार गृह निर्माण की संख्या तय कर तुरंत ग्राम पंचायत को सूचित करेंगी। ग्राम सभायें गरीब परिवारों में से उन परिवारों को चुनेगी जो मुख्यतः गरीबी रेखा के नीचे के हैं और जिनको घरों की जरूरत है।

**अन्नपूर्णा** – इस योजना के द्वारा प्रति माह 10 किलो मुफ्त अनाज उन वृद्ध व्यक्तियों को दिया जायेगा जो राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना के योग्य तो हैं लेकिन उनको न तो इसका लाभ मिल रहा है और न ही वह अपने पुत्रों के साथ रहते हैं। ग्राम पंचायतें ऐसे लोगों को चुनकर जिला अधिकारी को सूचित करेंगी और उनको इसके लिये एक कार्ड भी ग्रामसभा की बैठकों में देंगी।

**स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)** – गरीब ग्रामीणों का वह स्वेच्छिक समुदाय, जो गरीबी रेखा के 10–20 परिवारों (जिसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य सम्मिलित हो सकता है) से मिलकर बना है, अपने क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट ले सकता है। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं की सहायता से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा चलायी जा रही है।

**समग्र आवास योजना** – साफ-सफाई व पीने के पानी के समन्वित दृष्टि से यह एक व्यापक आवासीय योजना है। इस योजना को जिला पंचायत, ब्लॉक समिति व ग्राम पंचायत लागू करेंगी। प्रति जिले रु. पांच लाख व 20 लाख आवास विकास राशि जिला ग्रामीण विकास अधिकरण (DRDAs) के माध्यम से दो जायेगी। इस कार्यक्रम को DRDAs, जिला परिषदों व जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जायेगा।

**कर्ज एवं आर्थिक सहायता योजना** – रु0 32,000/- प्रतिवर्ष की आय वाले ग्रामीण परिवार समाज कल्याण विभाग की सिफारिश पर बैंको से रु0 40,000/- तक का कर्जा ले सकते हैं। कर्ज की राशि के अनुसार इनको रु0 10,000/- तक की आर्थिक सहायता भी मिल सकती है।

**अन्तयोदय अन्न योजना** – गरीबी रेखा स्तर से नीचे के निम्नवर्गीय उन परिवारों को 35 किलो तक गेहूँ रु. 2 प्रति किलो व चावल रु. 3 प्रति किलो के भाव से मिलेगा

- (1) जिनकी मुखिया विधवा है, या वह व्यक्ति हैं जो कि बहुत अधिक बीमार हैं, अपाहिज हैं, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, और उनके पास जीवनयापन के कोई सुनिश्चित साधन अथवा सहारा नहीं है।
- (2) जो भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक हैं।
- (3) ग्रामीण कारीगर जैसे कुम्हार, चर्मकार, जुलाहे, लोहार, बढ़ई, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले हैं।
- (4) वह ग्रामीण या शहरी व्यक्ति जिनका जीवनयापन अनौपचारिक क्षेत्र में जैसे बोझ ढोने वाले, कुली, रिक्शा चालक, ढेला चालक, फल-फूल बेचने वाले, सपेरे, कूड़ा-कचरा बटोरने वाले, अनुसूचित जाति एवं जन जाति एवं अन्य इसी प्रकार के व्यक्ति।

राशन की दुकान पर बिकने वाले चावल व गेहूँ की प्रति किलो दरें –

वस्तु	गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार	गरीबी रेखा से नीचे के परिवार	अन्तयोदय
चावल (रु.प्रति किलो)	8.30	5.65	3.0
गेहूँ (रु.प्रति किलो)	6.10	4.15	2.0

**जननी सुरक्षा योजना** – गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को निम्न सेवाओं का अधिकार है—

- (1) प्रशिक्षित नर्स/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रसव सम्बंधी सेवा
- (2) प्रसव के बाद रु. 1400/- का अनुदान
- (3) शिशु का मुफ्त प्रतिरक्षण

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** – केन्द्रीय सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई इस असंगठित क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को अस्पताल में होने वाले रु. 30,000/- तक के खर्च का उत्तरदायित्व समाज कल्याण विभाग का है।

**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)** – दूर-दराज के गरीब ग्रामीण परिवारों को निम्न आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान हेतु –

1. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन
2. सरकारी अस्पतालों में प्रसूति करवाने वाली महिलाओं को नकद प्रोत्साहन
3. नवजात शिशु सुरक्षा

**समेकित बाल विकास योजना** – यह योजना 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भित व दूध पिलाने वाली माताओं एवं 15-45 वर्ष की महिलाओं के लिये है। इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से ग्राम पंचायतें निम्न कार्यक्रम चलाती हैं—

- (1) पूरक पोषाहार
- (2) प्रतिरक्षण
- (3) स्वास्थ्य की जाँच
- (4) परामर्शी स्वास्थ्य सेवायें
- (5) अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा
- (6) पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा

**राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना**

—कोई भी 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जिसके जीवनयापन का कोई निश्चित स्रोत नहीं है और न ही कोई कहीं से आर्थिक सहारा है, उनको रु. 75 प्रति माह पंचायतों व नगरपालिकाओं द्वारा पेंशन मिलेगी।

**बालिका समृद्धि योजना** – 15 अगस्त 1997 के बाद जन्मी प्रत्येक बालिका को निम्न अधिकार हैं –

- (i) बैंक या डाकघर में उसके खाते में रु. 500/- पैदा होने पर जमा किये जायेंगे। जब वह स्कूल में प्रवेश करेगी, उसकी अधिकृत राशी बढ़ती जायेगी। इसके फार्म ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से और शहरों में स्वास्थ्य विभाग से लिये जा सकते हैं।
- (ii) यदि वह लड़की 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहती है तो यह जमा राशी उसको दे दी जायेगी।

**कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय** – सभी लड़कियाँ चाहें वह किसी भी धर्म या वर्ग की हों, यहाँ आवास के लिए अधिकृत हैं।

**सर्व शिक्षा अभियान** – 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा पाने के अधिकारी हैं।

**मध्याह्न भोजन योजना (Mid-day Meal Scheme)**– कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थी इस योजना के हकदार हैं। इस भोजन में कम से कम 300 कैलोरी एवं 8-12 ग्राम प्रोटीन होंगे।

**किशोरी शक्ति योजना** – 11 से 18 वर्ष के बीच की प्रत्येक लड़की, जिसने अपनी शिक्षा छोड़ दी है, को व्यावसायिक शिक्षा दी जायेगी।

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** ताकि गाँववाले शहर तक आ-जा सकें।

**त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना** – सभी ग्रामीण परिवारों को मुफ्त व स्वच्छ पेयजल प्रदान करना।

**राजीव गांधी ग्रामीण विधुतीकरण योजना** – सन् 2012 तक सभी ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना।

**ग्रामीण टेलीफोन की सर्वव्यापक सेवा** – गाँवों में सार्वजनिक या सामुदायिक टेलीफोन द्वारा संचार सेवाओं की सुविधायें।

**संपूर्ण स्वच्छता अभियान**– व्यक्तिगत तथा सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता दी जाती है। महिलाओं की एकान्तता एवं प्रतिष्ठता बनाये रखने व जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये आवश्यक तकनीकी के प्रयोग से साफ-सफाई की सुविधायें प्रदान करना।

**राष्ट्रीय आयोग्य निधि** – असाध्य रोगों से ग्रसित गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को 50,000/रु. तक के उपचार की सुविधा चुने अस्पतालो जैसे दिल्ली के एम्स, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग, आदि में उपलब्ध है। यह सहायता इन अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों की सिफारिश पर दी जाती है।

परिवारों की चयन प्रक्रिया: ऊपर बतायी गई सभी केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय योजनाओं के लाभ देने के लिये परिवारों के चुनाव के लिए पंचायत स्तरीय ग्राम सभा/आम सभा जिम्मेदार है। योजना को लाभ पाने के लिए सबसे पहले पंचायत/ग्राम सेवक से मिलकर आवेदन और जरूरी कागजात जमा करें। संबंधित ग्राम सभा में उपस्थित होकर अपने आवेदन की पुष्टि करें। ग्राम सभा के बाद सभी आवेदन ब्लाक तथा जिला कार्यालयों में भेजे जाते हैं, जहाँ से सूचना के अधिकार के तहत आप अपने आवेदन की स्थिति तथा लाभ मिलने की निश्चित तिथि का पता लगा सकते हैं।

इन सुविधाओं के बारे में सूचनायें संबंधित पंचायत, जिला परिषदों, नगरपालिकाओं, जिलाधीश कार्यालयों अथवा राज्य कल्याण विभागों से प्राप्त की सकती है।

\*\*\*\*\*

जागरूक जब हर नर-नार, सक्रिय बने तभी सरकार  
सूचना अधिकार के जरिए, लाभ उठाएँ ग्रामीण परिवार

\*\*\*\*\*

## सूचना का अधिकार

यह कानून 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। इससे हमें शासन-प्रशासन से जुड़ी सूचनाएं पाने का हक मिला है। यह कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। नेता, अफसर को जवाबदेह बनाता है। इस कानून ने लाखों लोगों को राहत प्रदान की है।

यह कानून केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की सभी संस्थाओं और विभागों पर लागू है। जिस गैर सरकारी संस्था में सरकारी धन लगा है, उसकी सूचना भी मिलेगी। प्राइवेट संस्थाओं के बारे में भी सरकारी विभाग के माध्यम से सूचना ली जा सकती है।

### हमें कैसी सूचना मिलेगी?

- अपने आवेदन पत्र या शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी मांग सकते हैं।
- सरकारी फाइलों, दस्तावेजों, समझौतों, निविदा, भुगतान, प्राक्कलन, इंजीनियरिंग कार्यों की माप इत्यादि का निरीक्षण कर सकते हैं।
- इनकी फोटो कॉपी या फ्लॉपी/सीडी ले सकते हैं।
- कोई सड़क, नाली, भवन में लगी सामग्री का नमूना ले सकते हैं।
- निर्माणाधीन या पूरा हो चुके विकास कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं।
- किसी नियमावली की मांग कर सकते हैं, कोई निर्णय किस नियम एवं प्रक्रिया के तहत किया गया, इसकी जानकारी ले सकते हैं।

### कैसे करें आवेदन

- सभी सरकारी कार्यालयों में जनसूचना अधिकारी होते हैं। सूचना के लिए इनके पास सादे कागज पर आवेदन करना होगा। डाक से भी आवेदन भेजा जा सकता है,
- आवेदन में नाम और पूरा पता लिखें। सूचना मांगने का कोई कारण बताने की जरूरत नहीं।
- केन्द्रीय प्रशासनिक दफतरां में आवेदन के साथ दस रुपया शुल्क जमा करें। यह राशि नगद या पोस्टल द्वारा जमा करें। विभिन्न राज्यों में यह शुल्क भिन्न-भिन्न हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे लोगों को कोई शुल्क नहीं लगेगा। सिर्फ अपना बीपीएल नंबर लिखना होगा।
- जितने पेज की सूचना मिलेगी, हर पेज के दो रुपये भी देने होंगे।
- तीस दिन के अंदर आपको सूचना मिलेगी। तीस दिन में सूचना नहीं मिली तो इसके बाद सारी सूचना निःशुल्क देनी होगी।
- मानवाधिकार सम्बंधी सूचना 48 घंटे में देनी होगी।

### अगर सूचना न मिले या अधूरी मिले?

- हर विभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। अगर तीस दिन के भीतर सूचना नहीं मिले, अथवा अधूरी, या गलत सूचना मिलने पर प्रथम अपील करें। प्रथम अपील पर तीस दिन के अंदर निर्णय लेना होगा।
- प्रथम अपील के बावजूद भी सूचना नहीं मिले तो सूचना आयोग में द्वितीय अपील करें। अगर मामला राज्य सरकार के विभाग का है तो राज्य सूचना आयोग में अपील करें। अगर मामला केंद्र सरकार के विभाग का है तो केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करें।
- इस कानून का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर सूचना आयोग जुर्माना भी लगा सकता है।

### अपने काम के संबंध में सूचना का आवेदन

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,

(.....विभाग का नाम व पता)

### विषय - सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

मैंने आय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र/इंदिरा आवास/वृद्धावस्था पेंशन/पानी/बिजली/टेलीफोन के कनेक्शन के लिए ..... (तारीख) को संलग्न आवेदन दिया था, लेकिन अब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे निम्नलिखित सूचनाएं देने का कष्ट करें -

1. मेरे आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?
2. नियमानुसार कितने दिनों में यह काम हो जाना चाहिए था? कृपया नियमावली दें।
3. किस अधिकारी की लापरवाही के कारण मेरा काम नहीं हुआ, इसकी सूचना दें।

आवेदन के साथ दस रु, नगद जमा करा हूं, कृपया पावती दें, उस पर क्या कार्यवाही की जायेगी अथवा - मैं गरीबी रेखा के नीचे आता हूं मेरी बीपीएल नंबर.....है। कृपया मुझे सूचना निःशुल्क दें।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर पता

### सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील का प्रारूप

प्रथम अपीलीय अधिकारी

(.....विभाग का नाम व पता)

मैंने दिनांक .....को ..... विभाग के जन सूचना अधिकारी के पास सूचना का संलग्न आवेदन जमा किया था। मैंने दस रुपये नगद/पोस्टल द्वारा जमा किये थे जिसकी रसीद की प्रतिलिपि भी संलग्न है/अथवा जिसका नंबर.....है। एक माह के बावजूद मुझे सूचना नहीं मिली है, कृपया वांछित सूचना उपलब्ध करायें तथा एक माह में सूचना नहीं मिलने के कारण भी बतायें।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर पता

### सूचना आयोग में द्वितीय अपील का प्रारूप

मुख्य सूचना आयुक्त.....

(आयोग का पता .....)

मान्यवर,

मैंने जनसूचना अधिकारी से संलग्न सूचना मांगी थी, लेकिन मुझे वह नहीं दी गयी/अथवा, मुझे अधूरी या भ्रामक या गलत सूचना दी गयी है।

इस तरह, मुझे वांछित सूचना से वंचित किया गया। मुझे वांछित सूचना तुरंत उपलब्ध करायी जाये और संबंधित कर्मचारी पर उपेक्षा के कारण कार्यवाही की जाये।

अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं-

क. मेरे द्वारा भेजा गया सूचना आवेदन

ख. नगद दस रुपयो जमा करने की रसीद/पोस्टल आर्डर की छाया प्रति

ग. प्रथम अपील तथा रजिस्ट्री की रसीद की छाया प्रति

(सारे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके उन पर स्वयं-प्रमाणित लिख दें)

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर, पता

द्वारा  
प्रकाशित

ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया, कमरा संख्या - 4, लाजपत भवन, लाजपत नगर-IV,  
नई दिल्ली - 110024. फोन: 011-2646 0826 फैक्स: 011-2642 4552